

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

॥ अधिसूचना ॥

पटना-15, दिनांक- 16.1.26

संख्या-12/निजी-70160/2023 सा0प्र0- 1304 /श्रीमती रश्मि सिन्हा, बि0प्र0से0 (को0क्र0-706/24), तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी, आरा सदर सम्प्रति, पदस्थापन की प्रतीक्षा में, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होने हेतु दिनांक-19.01.2026 से दिनांक-30.01.2026 तक कुल-12 (बारह) दिनों की उपार्जित छुट्टी की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. श्रीमती सिन्हा को निदेश दिया जाता है कि वित्त विभागीय परिपत्र सं0-5632, दिनांक-26.06.2015 की कंडिका-8(iii) के आलोक में उक्त छुट्टी से लौटने के उपरांत वेतन पुर्जा निर्गत करने हेतु अपने नव पदस्थापित पद का प्रभार ग्रहण प्रतिवेदन वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगी।


बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/-

(राजीव रंजन दास)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-12/निजी-70160/2023 सा0प्र0-.....1304...../पटना, दिनांक-.....16.01...../26

प्रतिलिपि:- प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को (आई0 टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग पटना के माध्यम से) बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/श्रीमती रश्मि सिन्हा, बि0प्र0से0 (को0क्र0-706/24), तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी, आरा सदर सम्प्रति, पदस्थापन की प्रतीक्षा में, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/आई0 टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना (विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के उप सचिव।